कार्यालय नगर परिषद टिमरनी जिला – हरदा (म.प्र)

दूरभाष क्रमांक – 07573–230239 E-Mail ID – cmotimarni@mpurban.gov.in

क्रं/926/लो.नि /2026 टिमरनी, दिनांक 18-5-2026

//प्रथम ई–निविदा आमंत्रण सूचना//

नगर परिषद टिमरनी द्वारा निम्नानुसार कार्य हेतु ऑनलाईन दर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेवसाईट पर दिनांक 19.05.2026 से 02.06.2026 तक ऑनलाईन क्रय किये जा सकते है। निविदा वेवसाईट **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदाओं में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध पर लागू जी.एस.टी. छोडकर बुलाए जा रहे है। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवायें/सामग्री पर शासन द्वारा स्वीकृत जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जायेगा।

कार्य का नाम	मद	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा फार्म मूल्य	कार्य अवधि
जनस्वास्थ्य शाखा में हाथ से कचरा उटाने हेतु हाथ गाड़ी एवं डस्ट बिन की दर प्रस्तुत कर सामग्री प्रदाय करने का कार्य।	न.पा.निधि	980000/–	9800/–	2000/–	15 दिवस

KEY-DATES AS BELOW

(1) निविदा प्रपत्र क्रय एवं बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 19.05.2026 प्रातः 10.00 बजे से।
(2) निविदा प्रपत्र क्रय एवं बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 02.06.2026 सायं 18.00 बजे तक।
(3) निविदाकार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा ए एवं बी खोलने की तिथि 04.06.2026 प्रातः 11.00 बजे से।

नियम एवं शर्ते :–

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक की होगी।
2. निविदादाता को सामग्री का निर्माता//अधिकृत विक्रेता होना अनिवार्य है। निविदादाता को सामग्री निर्माण का अथवा अधिकृत विक्रेता का जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करते समय गत वित्तिय वर्ष का आयकर चुक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रदाय आदेश के जारी होने के बाद सात दिवस के अंदर सामग्री उपलब्ध करना होगा। अन्यथा अन्य प्रदाय कर्ता से सामग्री प्राप्त कर होने वाली छति पूर्ति निविदादाता से की जावेगी।
5. सामग्री की दरें प्रस्तुत करते समय निविदा दाता को अपनी फर्म का पंजीयन नंबर एवं लायसेंस देना अनिवार्य होगा।
6. सप्लाय कार्य के दौरान सामग्री में टूट फूट एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी स्ववं निविदाकार की होगी इस हेतु कोई भी दावा स्वीकार नही किया जावेगा।
7. सामग्री की आपूर्ति निविदा में दी गई शर्तो व मांग के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक होना चालिए, सामग्री का भुगतान सामग्री की जांव के बाद किया जावेगा।
8. निकाय के प्रत्येक प्रदाय आदेश का सामान एक मुश्त सप्लाय करना होगा, किश्तों में सामान प्राप्त नही किया जावेगा।
9. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को अपनी सामग्री का ब्रांड/ग्रेड का खुलासा करना अनिवार्य होगा, सामग्री यथा संभव आई. एस.आई./आई.एस.ओ. प्रमाणित होना चाहिए।
10. निविदा को समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदा दाता को रिटेलर होने की दशा में अधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरें निकाय द्वारा स्वीकृत होने पर सामग्री प्रदाय करने के पूर्व निकाय को सामग्री का सेम्पल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
13. समय समय पर शासन प्रशासन द्वारा प्रसारित नियम शर्ते यथा संशोधन स्वीकार करनी होगी।
14. वित्तीय बिड नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही खोली जावेगी।
15. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र हरदा होगा।
16. निविदा स्वीकृत अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार निकाय के पास सुरक्षित होगा।
17. सामग्री निकाय द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी।
18. अनुवंध हेतु सूचना पत्र जारी होने से 15 दिवस में अनुबंध करना होगा अन्यथा ई.एम.डी. जब्त करते हुयें निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।
19. समस्त सामग्री मौके पर स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करानी होगी। परिवहन का व्यय निकाय द्वारा नही दिया जावेगा।
20. निविदा में किसी भी प्रकार के संसोधन की स्थिति में संसोधन का प्रकाशन केवल www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। संसोधन के संवंध में समाचार पत्र में किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नही दी जावेगी।
21. अन्य शर्ते जनस्वास्थ्य शाखा में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद टिमरनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyavrat Bakoriya
Date: 2026.05.18 18:18:36 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with OKEN Scanner